

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 247वीं बैठक दिनांक 04.08.2021 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

- | | | |
|-----------------------------|--|-------|
| 1. श्री शांतिकुमार धारीवाल | अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार | |
| 2. श्री के.एल.मीणा | प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | सदस्य |
| 3. श्री पवन अरोड़ा | आवासन आयुक्त, राज.आवासन मण्डल | सदस्य |
| 4. श्री आर. के. विजयवर्गीय | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान | सदस्य |
| 5. श्रीमती संचिता क्रिस्नोई | सचिव एवं मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, मण्डल-सचिव राजस्थान आवासन मण्डल | |

शासन सचिव वित्त (बजट), डॉ. पृथ्वी राज द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

श्रीमती संजय शर्मा	वि.स. एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज. आवासन मण्डल
श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता, प्रथम, राज.आवासन मण्डल
श्री जी.एस.बाघेला	मुख्य अभियंता, द्वितीय
श्री अनिल कुमार माथुर	अति. मुख्य नगर नियोजक
श्रीमती प्रीति सिंह पंवार	सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय)
श्री अनुज माथुर	संयुक्त निदेशक(एस.ए.)
श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी

-:: कार्यवाही विवरण ::-

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
247.01	दिनांक 07.05.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 246वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 07.05.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 246वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
247.02	दिनांक 07.05.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 246वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	विचार-विमर्श उपरान्त दिनांक 07.05.2021 को सम्पन्न हुई मण्डल की 246वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

247.03	मण्डल के मृत कर्मचारी स्व. श्री सुल्तान सिंह, सुपरवाईजर के स्थान पर उनकी पुत्री सरिता कुमारी की कनिष्ठ सहायक के पद पर की गयी नियुक्ति के संबंध में।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात मण्डल के मृत कर्मचारी स्व. श्री सुल्तान सिंह, सुपरवाईजर के स्थान पर उनकी पुत्री सरिता कुमारी को (कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रदान की गयी अनुकम्पात्मक नियुक्ति के संबंध में) शपथपत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण सेवा से पृथक् करने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंध में समुचित कार्यवाही करने हेतु सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल को अधिकृत किया गया।	Secretary
247.04	मण्डल के दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुबन्ध पर 05 मल्टी टास्क वर्कर्स लगाए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल के दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुबन्ध पर 05 मल्टी टास्क वर्कर्स लगाए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही सचिव, राज.आवासन को निर्देशित किया गया कि वर्कर्स के बैंक खाते देखकर सुनिश्चित करें कि एजेन्सी द्वारा वर्कर्स को पूरा भुगतान किया जा रहा है।	Secretary
247.05	राजस्थान आवासन मण्डल के वृत्त/खण्ड कार्यालयों के समायोजन/ पुनर्गठन के संबंध में।	वृत्त-जोधपुर व कोटा, खण्ड-तृतीय एवं चतुर्थ, जोधपुर एवं नागौर को छोड़ते हुए प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के वृत्त/ खण्ड कार्यालयों के समायोजन/ पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
247.06	Extension of benefits of 'Retirement Gratuity/Death Gratuity' to the State Government employees covered by New Contributory Pension Scheme (NPS).	प्रस्तावानुसार Extension of benefits of 'Retirement Gratuity/Death Gratuity' to the State Government employees covered by New Contributory Pension Scheme (NPS) राजस्थान आवासन मण्डल में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
247.07	मण्डल द्वारा RHBMS COTS Application के कार्य हेतु FMS की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा RHBMS COTS Application के कार्य हेतु FMS की स्वीकृति प्रदान की गई।	SA- (Comp.)

247.08	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड पर प्रस्तावित बहुमंजिले स्टुडियो अपार्टमेन्ट्स के अन्तर्गत नियोजित (भूतल+10) फ्लैट्स के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन के अनुमोदन बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, हल्दी घाटी मार्ग स्थित भूखण्ड पर प्रस्तावित बहुमंजिले स्टुडियो अपार्टमेन्ट्स के अन्तर्गत नियोजित (भूतल+10) फ्लैट्स के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया गया। आवासों को आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।	CE-I
247.09	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, चेतक मार्ग स्थित भूखण्ड में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत नियोजित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग बहुमंजिलीय फ्लैट्स (जी+12) के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन के अनुमोदन बाबत।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-08, चेतक मार्ग स्थित भूखण्ड में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत नियोजित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग बहुमंजिलीय फ्लैट्स (जी+12) के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन का अनुमोदन किया गया। आवासों को आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।	CE-I
247.10	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-26 स्थित भूखण्ड में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत नियोजित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 726 एवं अल्प आय वर्ग के 620, कुल 1346 बहुमंजिला फ्लैट्स (जी+12) के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-26 स्थित भूखण्ड में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत नियोजित आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 726 एवं अल्प आय वर्ग के 620, कुल 1346 बहुमंजिला फ्लैट्स (जी+12) के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन की संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। आवासों को आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा।	CE-I
247.11	Ex-post facto approval of BID for Construction of Block 1 (B1+B2+G+12) 26 Flats at AIS Residency Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

247.12	Ex-post facto approval of BID for Construction of Block 2 (B1+B2+G+12) 26 Flats at AIS Residency Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.13	Ex-post facto approval of BID for Construction of Block 3 (B1+B2+G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.14	Ex-post facto approval of BID for Construction of Block 4 (B1+B2+G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.15	Ex-post facto approval of BID for Construction of Block 5 (B1+B2+G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.16	Ex-post facto approval of BID for Construction of Block 6 (B1+B2+G+12) 26 Flats at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.17	Ex-post facto approval of BID for Construction of Block 7 (B1+B2+G+12) 24 Flats and Club House at AIS Residency, Sect 17, Pratap Nagar, Jaipur.	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.18	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-1 (B1 + B 2 + G+12)-26 HIG Flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1707.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.19	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-2 (B1 + B 2 + G+12)-26 HIG Flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

247.20	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-3 (B1 + B 2 + G+12)-26 HIG Flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.21	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-4 (B1 + B 2 + G+12) 26 HIG Flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.22	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-5 (B1 + B 2 + G+12)-26 HIG Flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.23	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-6 (B1 + B 2 + G+12)-26 HIG Flats at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1655.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

247.24	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर आवासीय योजना में Construction of Block-7 (B1 + B 2 + G+12)-24 HIG Flats and club house at AIS Residency, Sector 17, Pratap Nagar, Jaipur कार्य हेतु राशि रुपये 1653.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
247.25	राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवासों/प्लैटो/निर्मित दुकानों जिनको आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/नीलामी से निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव/नीलामी में सम्मिलित किया गया उनमें से शेष बचे आवासों/प्लैटो/निर्मित दुकानों की लागत को दिनांक 30.09.2021 तक स्थिर करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवासों/प्लैटो/निर्मित दुकानों जिनको आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/नीलामी से निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव/नीलामी में सम्मिलित किया गया उनमें से शेष बचे आवासों/प्लैटो /निर्मित दुकानों की लागत को दिनांक 30.09.2021 तक स्थिर करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
247.26	राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F-17(22)UDH/Rules/2020 Jaipur dated 04-01-2021 में नीलामी/आवंटन से आवंटित भूमि पर अनुज्ञेय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में किये गये संशोधनों को मण्डल में अंगीकार करने बाबत एवं संस्थानिक आवंटित भूमि पर अनुज्ञेय अवधि में निर्माण नहीं करने पर निर्माण अवधि बढ़ाने एवं लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में नगरीय विकास विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हैं।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक F-17(22) UDH /Rules/ 2020 Jaipur dated 04-01-2021 में नीलामी/आवंटन से आवंटित भूमि पर अनुज्ञेय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में किये गये संशोधनों को मण्डल में अंगीकार किया गया तथा संस्थानिक आवंटित भूमि पर अनुज्ञेय अवधि में निर्माण नहीं करने पर निर्माण अवधि बढ़ाने एवं लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में नगरीय विकास विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM

247.27	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासो/प्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0-25% एवं 0-50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासो/प्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0-25% एवं 0-50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
247.28	राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) राजस्थान आवासन मण्डल में लागू करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (RGHS) राजस्थान आवासन मण्डल में लागू करने का निर्णय लिया गया।	FA
247.29	एन.आर.आई. योजना टाईप डिजाईन के मापदण्डों में संशोधन बाबत।	प्रस्तावानुसार एन.आर.आई. योजना टाईप डिजाईन के मापदण्डों में संशोधन करने एवं राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	ACTP
247.30	नीलामी के ऐसे प्रकरणों में जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात की हैं कोविड-19 के मद्देनजर तिथि बढ़ाने के आदेश क्रमांक-सीआरओ/राआम/2020-2021/311 दिनांक 10.03.2021 एवं क्रमांक-सीआरओ/राआम/2021-2022/SPL-1 दिनांक 07.05.21 की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार नीलामी के ऐसे प्रकरणों में जिनकी राशि जमा कराने की तिथि 15.03.2020 के पश्चात की हैं कोविड-19 के मद्देनजर तिथि बढ़ाने के आदेश क्रमांक-सीआरओ/राआम/2020-2021/311 दिनांक 10.03.2021 एवं क्रमांक-सीआरओ/राआम/2021-2022/SPL-1 दिनांक 07.05.21 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
247.31	मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले देय मुआवजा के क्रम में लम्बित रेफरेन्स/वादों के संबंध में।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले देय मुआवजा के क्रम में लम्बित रेफरेन्स/वादों के संबंध में पूर्व में 221वीं बैठक के पारित निर्णय के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 121, दिनांक 20.05.2014 को निरस्त कर लम्बित प्रकरणों की Case to case merit का परीक्षण करते हुये उनका निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary

247.32	राजस्थान आवासन मण्डल के कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु प्रस्ताव में अंकित 11 निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
247.33	श्री रामेश्वर दयाल लखेरा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार द्वारा नियमित सेवा से पूर्व वर्कचार्ज/मस्टरोल की सेवा अवधि को केवल पेंशन गणना अवधि में सम्मिलित करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार श्री रामेश्वर दयाल लखेरा, सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार द्वारा नियमित सेवा से पूर्व वर्कचार्ज/मस्टरोल की सेवा अवधि को केवल पेंशन गणना अवधि में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
247.34	मण्डल के समस्त वृत्त कार्यालयों में कुल 18 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (सिविल) अनुबंध पर लगाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल के समस्त वृत्त कार्यालयों में कुल 18 परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) (सिविल) अनुबंध पर लगाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
247.35	पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने बाबत।	प्रस्तावानुसार पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
247.36	राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर दिनांक 30.09.2021 तक स्थिर रखने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर दिनांक 30.09.2021 तक स्थिर रखने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
247.37	माननीय सांसद श्री हनुमान बेनीवाल को मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर में आवंटित आवास संख्या 8/HMM/108 की कब्जा राशि व बकाया राशि पर ब्याज व शास्ती को माफ करने के संबंध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया एवं आगामी संचालक मंडल की बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	CEM

247.38	मण्डल द्वारा गठित विपणन प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी की सेवाएँ एजेन्सी मैसर्स शिव एन्टरप्राइजेज, जयपुर से लेने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/विपणन शाखा/2020/838 दिनांक 26.07.2021 की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा गठित विपणन प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी की सेवाएँ एजेन्सी मैसर्स शिव एन्टरप्राइजेज, जयपुर से लेने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/विपणन शाखा/2020/838 दिनांक 26.07.2021 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
247.39	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0-25% एवं 0-50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0-25% एवं 0-50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
247.40	आवास संख्या 2/387, स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर के आवंटी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा को उक्त आवास के पंजीकरण पुनर्जीवित करने व वर्तमान लागत पर आवंटन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार आवास संख्या 2/387, स्काउट फील्ड योजना, सवाई माधोपुर के आवंटी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा को उक्त आवास के पंजीकरण पुनर्जीवित करने व वर्तमान लागत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।	CEM

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-

1. सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे आई.पी.डी. टॉवर के निर्माण के लिये राज्य सरकार के निर्णयानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जायेगा जिसमें से 50 करोड़ रुपये का चैक अभी जारी किया जाये।
2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार बरकतुल्ला स्टेडियम, जोधपुर के लिये 05 करोड़ का भुगतान राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जायें।
3. निदेशक (विधि) राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित कितने प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है तथा इन लंबित प्रकरणों को निपटाने का क्या प्लान है, प्रस्तुत करें।
4. भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित प्रकरणों को शीघ्र निष्पादित करने के लिये प्रत्येक प्रकरण को स्केच प्लान, गूगल प्लान, नवीन चैकलिस्ट सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. जिन प्रकरणों को पूर्व में एल.एन.सी. में रखा जा चुका है उन्हें पुनः एल.एन.सी. में रखने की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रकरण चैक लिस्ट के साथ सीधे राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजे जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संचिता बिश्नोई)
सचिव